बिहार विधान सभा

की

राजकीय आश्वासन समिति

का

345वाँ प्रतिवेदन

(गृह विभाग)

(दिनांक २५/07/२०२५ई० को सदन में उपस्थापित)

बिहार विधान सभा
की
राजकीय आश्वासन समिति प्रशाखा द्वारा प्रकाशित ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. प्राक्कथन	क
2. राजकीय आश्वासन समिति के माननीय सदस्यों एवं समिति के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची ।	ख
3. आश्वासनों की सूची	ग
4. प्रतिवेदन	1–13
5. परिशिष्ट	14–34

प्राक्कथन

मैं, सभापति, राजकीय आश्वासन समिति की हैसियत से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत गृह विभाग से संबंधित विभिन्न वर्षों के कुल 12 आश्वासनों के कार्यान्वयन से संबंधित राजकीय आश्वासन समिति का 345वाँ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ।

इस प्रतिवेदन में सन्निहित आश्वासनों को समिति की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की बैठक में समीक्षोपरान्त कार्यान्वित माना गया तथा इस प्रतिवेदन को समिति की दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

संसदीय लोकतंत्र में विधायकगण, विधान मंडल में जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जनप्रतिनिधि द्वारा जनहित के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसपर सरकार का आश्वासन होता है।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-284 के तहत गठित राजकीय आश्वासन समिति, सरकार द्वारा सदन में दिये गये ऐसे आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और वचनों आदि के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ कार्य करती है तथा कार्यान्वित आश्वासनों से संबंधित प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करती है।

इन आश्वासनों के कार्यान्वयन में विभागीय पदाधिकारियों तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ।

दामोदर रावत,

सभापति,

राजकीय आश्वासन समिति,

बिहार विधान सभा पटना।

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा के राजकीय आश्वासन समिति की वर्ष 2023–24 के माननीय सदस्यों की सूची–

सभापति

1.	श्री दामोदर रावत	स०वि०स०

सदस्यगण

1.	श्री केदार नाथ सिंह	स०वि०स०
2.	श्री संजय कुमार गुप्ता	स०वि०स०
3.	श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल''	स०वि०स०
4.	श्री जनक सिंह	स०वि०स०
5.	श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह	स०वि०स०
6.	श्री सुदर्शन कुमार	स०वि०स०
7.	श्री उमाकांत सिंह	स०वि०स०
8.	श्री रामविशुन सिंह	स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची–

1.	श्री पवन कुमार पाण्डेय	प्रभारी सचिव
2.	श्री असीम कुमार	प्रभारी निदेशक
3.	श्रीमती पूनम सिन्हा	प्रभारी उप-सचिव
4.	सुश्री शिल्पा यादव	प्रशाखा पदाधिकारी
5.	श्री राजीव कुमार सिंह	सहायक
6.	श्री राजीव रंजन-III	सहायक
7.	श्री शक्ति कुमार प्रसाद	सहायक
8.	श्री मो० अली	सहायक
9.	श्री रवि शंकर	डाटा इंट्री ऑपरेटर

दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 को राजकीय आश्वासन समिति की हुई बैठक में गृह विभाग से संबंधित कार्यान्वित आश्वासनों की सूची—

क्रम सं०	आश्वासन सं०
1	874/96
2	191/2001
3	560/10
4	288/12
5	726/13
6	93/14
7	52/15
8	54/15
9	67/15
10	117/15
11	324/15
12	1046/16

प्रतिवेदन

गृह विभाग

आश्वासन संख्या 874/96

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1679 (ए-7), दिनांक 15 जुलाई, 1996 को (सभा पटल से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह, स०वि०स० ।

विषय--पुलिस हिरासत एवं जेलों में होने वाले मौत के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 1995 के आलोक में कार्रवाई ।

सरकारी आश्वासन

श्री लालू प्रसाद (मुख्यमंत्री)--(4) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 1995-96 की प्रति की मांग गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक 7168, दिनांक 4 जुलाई, 1996 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की गयी है । आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा कर सरकार निश्चत ही स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करेगी ।

(ज्ञाप संख्या 874-वि० स०, पटना, दिनांक 5 फरवरी, 2013 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 874, दिनांक 05 जनवरी, 1997 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । गृह विभाग ने अपने पत्रांक 11656, दिनांक 21 नवम्बर, 2021 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-I पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 191/2001

प्रसंग एवं विषय

प्रसंग--मा०स०, श्रीमती प्रेमा चौधरी द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1351, दिनांक 26 जून, 20021 ।

विषय-अपराध अनुसन्धान विभाग (अपराध शाखा) के कर्मचारियों का यात्रा विपत्र दूसरे व्यक्ति द्वारा गलत हस्ताक्षर कर भुगतान ले लेने के सम्बन्ध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री जगदानन्द सिंह (मंत्री)--खंड (3) उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुत: प्राप्त शिकायत की गहन जाँच की जा रही है ।

खंड-4 चूँकि मामला पूर्व वर्षों का है और बहुत सारे अभिलेखों की समीक्षा करनी है । अत: जाँच पूरा करने में समय लगने की सम्भावना है, फिर भी जाँच शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्रीमती प्रेमा चौधरी मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि अपराध अनुसंधान विभाग में जो कर्मचारी और पदाधिकारी पदस्थापित रहते हैं उनका टी०ए०, मेडिकल आदि तीन-बार वर्षों तक लम्बित रखा जाता है और जब उनका स्थानांतरण कहीं हो जाता है तो उनका विपत्र लेखा शाखा के व्यक्ति ही प्राप्त कर लेते हैं । मैं जानना चाहती हूँ कि कितने आवेदन इस तरह से लम्बित हैं ?

अध्यक्ष--माननीय सदस्या पूछ रही हैं कि लेखा शाखा से जानबूझकर विलम्ब किया जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, तीन-तीन वर्ष तक नहीं भुगतान देते हैं, इसपर कार्रवाई करें ।

श्री जगदानंद सिंह, (मंत्री)--महोदय, मूल प्रश्न है कि दूसरे के द्वारा हस्ताक्षर करके जो पावती किसी ने प्राप्त कर लिया । महोदय, हमने बताया कि अपराध अनुसंधान विभाग के स्तर पर ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ है जिसकी जाँच हो रही है और जाँचोपरान्त कार्रवाई होगी ।

श्री भोला प्रसाद सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय, से संक्षेप में जानना चाहता हूँ कि आरक्षी कार्यालय में तमाम कर्मचारियों के फोटो होते हैं, उनका चिन्ह होता है, उनका प्रतीक होता है । क्या यह बात सही है कि इस राज्य के जिस कार्यालय की चर्चा हो रही है, एक संगठित गिरोह है जो दिन-रात उच्च पदस्थ पदाधिकारियों के मेल से इस तरह का धंधा किया करते हैं और प्रश्न आते रहते हैं, कार्रवाई नहीं होती है । हम यह भी जानना चाहते हैं कि तीन वर्षों से चार वर्षों के मामले हैं, क्या सरकार इसकी गम्भीरता को नहीं समझती है ? फोटो हैं, सारी चीजें हैं तो क्या सरकार इसकों गम्भीरता से लेते हुये कोई कारगर कदम उठाकर एक महीने के अन्दर इस मामले का निष्पादन करना चाहती है ?

श्री जगदान्द सिंह, (मंत्री)--महोदय, प्रश्न में भी यह सूचना है और माननीय सदस्य, भोला बाबू ने इस प्रश्न को और साफ किया है, तस्वीर इसकी साफ की है । निश्चित रूप से 98-99 और 99-2000 के मामले जो अभी जाँच नहीं हुये, गम्भीर विषय हैं । एक महीना के भीतर पुलिस मुख्यालय को इसकी जाँच करनी होगी और सरकार को रिपोर्ट करनी होगी ।

(ज्ञाप संख्या 191-वि० स०, पटना, दिनांक 19 मई, 2001 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 191, दिनांक 19 मई, 2001 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । गृह विभाग ने अपने पत्रांक 8020, दिनांक 11 अगस्त, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-II पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 560 / 10

प्रसंग एवं विषय

श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स०वि०स० के गैर-सरकारी संकल्प पर दिनांक 31 मार्च, 2010 के सरकारी वक्तव्य में निहित आश्वासन ।

विषय-राज्य में सैप के जवानों को प्रतिमाह 15000 रुपया वेतन स्वीकृत करने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव (मंत्री)--महोदय, सैप के जवानों को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12. 000 रुपये प्रतिमाह तथा रसोइयों को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 8400 रुपये से बढ़ाकर 8400 रुपये प्रतिमाह एवं जी०सी०ओ० को 12.5 हजार रु० से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक स्वीकृति हेतु निर्धारित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(ज्ञाप संख्या 560-वि० स०, पटना, दिनांक 16 जून, 2010 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 560, दिनांक 16 जून, 2010 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । गृह विभाग ने अपने पत्रांक 11738, दिनांक 22 नवम्बर, 2021 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-III पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 288 / 12

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 759 (कारा-2), दिनांक 5 मार्च, 2012 को (सभा पटल से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री अवनीश कुमार सिंह, स०वि०स० ।

विषय--राज्य के काराओं में प्रोन्नत कोटा से कारा अधीक्षक के रिक्त पदों को भरने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--प्रोन्नति हेतु विचाराधीन अधिकांश कारापालों का उनके मूल पद सहायक कारापाल के पद पर सेवा संपुष्टि नहीं रहने तथा बिना सेवा सम्पुष्टि के प्रोन्नति अनुमान्य नहीं होने के कारण विभाग द्वारा सम्पुष्टि की कार्रवाई प्रारंभ करते हुये विचाराधीन कारापालों के सेवापुस्त, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता आदि अभिलेखों की जांच की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के आलोक में सेवा सम्पुष्टि की कार्रवाई के उपरांत प्रोन्नति की कार्रवाई की जायेगी ।

(ज्ञाप संख्या 288-वि० स०, पटना, दिनांक 3 अप्रील, 2012 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 288, दिनांक 03 अप्रील, 2012 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । गृह विभाग ने अपने पत्रांक 11655, दिनांक 21 नवम्बर, 2021 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-IV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 726 / 13

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2712 (ए-132), दिनांक 18 मार्च, 2013 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री रामचन्द्र सहनी, स०वि०स० ।

विषय--पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सुगौली प्रखंड में बगही ग्राम के कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री विजय कुमार चौधरी (मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, इसके पहले भी जो प्रश्न था यही माननीय सदस्य रामचन्द्र सहनी जी का उसके क्रम में भी मैंने बताया था कि यह तो सूची अभी बनी हुई है संवेदनशीलता के हिसाब से लेकिन अगर माननीय सदस्य किसी विशेष कब्रिस्तान के बारे में अगर किसी विशेष स्थिति की चर्चा करते हुये अगर कोई जानकारी देते हैं तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन से उस संबंध में जांच करायी जायेगी ।

श्री पवन कुमार जायसवाल--महोदय, 2004 में ही बैठक हुई थी एस०पी० एवं डी०एम० का उसमें यह बात हुआ था । मंत्री जी से हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि वहां पुनः बैठक कराकर के वहां जो डी०एम, एस०पी० की जो कमिटी है, हमलोग जो देते हैं, उसपर समीक्षा करना चाहते हैं मंत्री जी ।

अध्यक्ष--माननीय मंत्री जी, इसकी समीक्षा करवा लीजियेगा ।

(ज्ञाप संख्या 726-वि० स०, पटना, दिनांक 25 अप्रैल, 2013 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 726, दिनांक 25 अप्रील, 2023 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । गृह विभाग ने अपने पत्रांक 7476, दिनांक 14 अगस्त, 2018 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-V पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 93 / 14

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 24 (ए-4), दिनांक 30 जून, 2014 को (सभा पटल से) ।

प्रश्नकर्ता--डॉ० अब्दुल गफूर, स०वि०स० ।

विषय--सहरसा जिला के महिषी प्रखंडान्तर्गत सिरवार विरवार पंचायत के मोजा नाकुच गमर की कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--प्रश्नगत कब्रिस्तान का सीमांकन विवाद का समाधान हो गया है यथा घेराबंदी कार्य भी प्रारंभ हो गया है । घेराबंदी शीघ्र ही पूर्ण करा ली जायेगी ।

(ज्ञाप संख्या 93-वि० स०, पटना, दिनांक 15 जुलाई, 2014 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 93, दिनांक 15 जुलाई, 2014 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । गृह विभाग ने अपने पत्रांक 7458, दिनांक 15 जुलाई, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 52/2015

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 278 (ए-31), दिनांक 23 मार्च, 2015 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री महेन्द्र बैठा, स०वि०स० ।

विषय--वैशाली जिलान्तर्गत पातेपुर प्रखंड के खेसराही प्रखंड के खेसराही पंचायत में दो कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री विजय कुमार चौधरी (मंत्री)--खंड (2) योजना अभिकर्ता द्वारा एक कब्रिस्तान का घेराबंदी कार्य पूर्ण किया गया है तथा एक ही घेराबंदी जैसा कि महोदय, हमने बताया कि वह आंशिक रूप से अपूर्ण है ।

खंड (3) सीमांकन में विवाद के कारण इस कार्य में देर हुई है और महोदय, हमने खुद समाहर्ता से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि दस से पन्द्रह दिनों में जो बचा हुआ काम है, उसको पूरा कर दिया जायेगा ।

(ज्ञाप संख्या 52 वि० स०, पटना, दिनांक 9 अप्रील, 2015 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 52, दिनांक 09 जनवरी, 2015 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । गृह विभाग ने अपने पत्रांक 7205, दिनांक 1 अगस्त, 2016 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट VII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 54 / 2015

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 296 (ए-50), दिनांक 23 मार्च, 2015 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री दिनेश कुमार सिंह, स०वि०स० ।

विषय--भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड के छाँवा, दलिपुर एवं चकवाँ कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री विजय कुमार चौधरी (मंत्री)--महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड के दलिपुर एवं चकवां में अवस्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है । इस प्रखंड के छाँवा में चार कब्रिस्तान है जिसमें से दो कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है । शेष दो कब्रिस्तानों में एक कब्रिस्तान के दक्षिण एवं पश्चिमी से घेराबंदी की गयी है एवं पूरब एवं उत्तर से यह कार्य पूरा नहीं हो पाया है और चौथा जो कब्रिस्तान है वह अभी निर्धारित प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । प्रश्नगत कब्रिस्तान पूर्व की स्वीकृत योजना में जो अर्द्धनिर्मित है, उसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करा दिया जायेगा ।

(ज्ञाप संख्या 54-वि० स०, पटना, दिनांक 11 अप्रील, 2015 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 54, दिनांक 11 अप्रील, 2015 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । गृह विभाग ने अपने पत्रांक 6386, दिनांक 23 जून, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 67 / 2015

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 298 (ए-30), दिनांक 23 मार्च, 2015 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स०वि०स० ।

विषय--कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड के पहाड़पुर पूरब टोला कब्रिस्तान की घेराबंदी को मरम्मत कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड के पहाड़पुर टोला कब्रिस्तान की घेराबंदी पूर्व में की जा चुकी है । विगत बाढ़ में लगभग 380 फीट घेराबंदी क्षतिग्रस्त हो गयी है । क्षतिग्रस्त घेराबंदी की मरम्मती हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । क्षतिग्रस्त घेराबंदी की मरम्मती अगले वित्तीय वर्ष में करा देने हेतु जिला पदाधिकारी, कटिहार को निदेश दिया गया है ।

(ज्ञाप संख्या 67-वि० स०, पटना, दिनांक 11 अप्रील, 2015 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 67, दिनांक 11 अप्रील, 2015 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । गृह विभाग ने अपने पत्रांक 2255, दिनांक 25 मार्च, 2021 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-IX पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 117/2015

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 687 (ए-67), दिनांक 30 मार्च, 2015 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री अब्दुलबारी, सिद्दिकी स०वि०स० ।

विषय--समस्तीपुर जिलान्तर्गत ग्राम +पो०-मालीपुर, थाना-चकमेहसी स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी पूर्ण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत ग्राम +पो०-मालीनगर, थाना-चकमेहसी स्थित कब्रिस्तान की चहारदीवारी लगभग 125 फीट पश्चिम दिशा में ध्वस्त हो गयी है । ध्वस्त चहारदीवारी की घेराबंदी अगले वित्तीय वर्ष में करा दी जायेगी ।

(ज्ञाप संख्या 117-वि० स०, पटना, दिनांक 28 अप्रील, 2015 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 117, दिनांक 28 अप्रील, 2015 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । गृह विभाग ने अपने पत्रांक 4485, दिनांक 24 मार्च, 2017 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-X पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 324 / 2015

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1723 (ए-94), दिनांक 20 अप्रैल, 2015 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री रामसेवक सिंह स०वि०स० ।

विषय--पुलिस लाइन, गोपालगंज में पुलिसकर्मियों के रहने हेतु नया भवन बनवाने तथा पुलिस लाईन के मैदान से जल-जमाव से निजात दिलाने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री विजय कुमार चौधरी (मंत्री)--महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत पुलिस लाईन वर्तमान में भवन निर्माण विभाग के जमीन एवं भवन कार्यरत है और भवन की मरम्मती की आवश्यकता है । तत्काल भवन निर्माण विभाग से एन०ओ०सी० प्राप्त कर उसका मरम्मती का कार्य करा दिया जायेगा ।

(ज्ञाप संख्या 324-वि० स०, पटना, दिनांक 1 जुलाई, 2015 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 324, दिनांक 01 जुलाई, 2015 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । गृह विभाग ने अपने पत्रांक 1042, दिनांक 8 जनवरी, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1046/2016

प्रसंग एवं विषय

अनागत तारांकित प्रश्न संख्या गृह-173, दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 को सदन पटल पर रखे गये द्वितीय सत्र के (मुद्रित पुस्तिका से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री नारायण प्रसाद, स०वि०स० ।

विषय--वैशाली जिला में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिये दफादार/चौकीदार के लाभ के लंबित मामलों का निष्पादन करने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--मात्र एक आवेदक श्री अर्जुन भगत के (आवेदन प्राप्ति की तिथि 10 मार्च, 2016) आवेदन के आलोक में उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने हेतु स्पष्ट अनुशंसा अंचल अधिकारी, महुआ (नियंत्री पदाधिकारी) से जिला पदाधिकारी वैशाली के द्वारा मांग की गई है । अंचल अधिकारी, महुआ से अनुशंसा प्राप्त होते ही कार्रवाई की जायेगी ।

(ज्ञाप संख्या 3854-3857-वि० स०, पटना, दिनांक 24 जनवरी, 2017 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 3854-3857, दिनांक 24 जनवरी, 2017 के द्वारा गृह विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । गृह विभाग ने अपने पत्रांक 11902, दिनांक 25 नवम्बर, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

पत्रांक-कारा-06(रा०मा०आ०)-23 / 2022-11656

बिहार सरकार

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

प्रेषक

सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र),
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 21 नवम्बर, 2022 (ई०) ।

विषय--विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या-1679 (ए-7), दिनांक 15 जुलाई, 1966 से उत्पन्न सरकारी आश्वासन संख्या 874/96 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रेषित करने के संबंध में ।

प्रसंग--बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का पत्रांक 3005, दिनांक 9 नवम्बर, 2022 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या-1679 (ए-7), दिनांक 15 जुलाई, 1966 से उत्पन्न सरकारी आश्वासन संख्या 874/96 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन (पाँच प्रति) प्रेषित की जा रही है ।

2. उपर्युक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

अनुलग्नक:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
सहायक कारा, महानिरीक्षक (क्षेत्र),
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना ।

विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 1679 (ए-7), दिनांक 15 जुलाई, 1966 से उत्पन्न सरकारी आश्वासन संख्या-874/96 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन ।

प्रश्नकर्ता--मृगेन्द्र प्रताप सिंह, माननीय स०वि०स० ।

विषय-पुलिस हिरासत एवं जेलों में होने वाले मौत के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 1995 के आलोक में कार्रवाई ।

सरकारी आश्वासन	कार्यान्वयन प्रतिवेदन	
	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन 1995-96 में 1995 दिया गया निदेश ।	अनुपालन प्रतिवेदन
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 1995-96 की प्रति की मांग गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक 7168, दिनांक 4 जुलाई 1996 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की गयी है । आयोग से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा कर सरकार निश्चित ही स्थिति में सुधार निश्चित ही स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करेगी । (ज्ञाप सं० 874-वि०स०, पटना, दिनांक 5 फरवरी, 1997 ई० ।	1.The Commission has been disappoined that certain States have still not been reporting incidents of Custodial death as fully as they shoud 1.This Commission also endorses the view of the National Police Commission in its First Report of February 1979 (Para 10-10) that there shoud be a mandatory enquiry, by a Sessions Judge, in each case of custodial death, rape or grievous hurt. 1.In its continuing effort to end custodial violence, the Commission has taken he view, in two recent instances of custodial death that occurred in the States of Tamil Nadu and Rajasthan, that the compensation due to the next of kin of those who have died in custody shoud be the liability not just of the State Government, but of the offending police officials themselves.	1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में बिहार राज्य की काराओं में संसोमित बंदियों की मृत्यु की सूचना 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली/बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को दी जाती है । 2. बिहार राज्य की काराओं में संसोमित बंदियों की मृत्यु के प्रत्येक मामले की जांच न्यायिक दण्डधिकारी से करायी जाती है एवं प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई की जाती है । 3. मृत बंदियों के निकटतम परिजन को भुगतान की जाने वाली मुआवजा की वसूली दोषी पदधिकारी/कर्मी से करने की कार्रवाई बिहार राज्य में प्राम्भ कर दी गयी ।

(ह०) अस्पष्ट,
सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र),
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-II

पत्र संख्या 8/वि०स०-10-11/2020/8020-गृ०आ०

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर-सचिव,

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 11 अगस्त, 2022 (ई०) ।

विषय-- अपराध अनुसंधान विभाग (अपराध शाखा) के कर्मचारियों का यात्रा विपत्र दूसरे व्यक्ति द्वारा गलत हस्ताक्षर कर भुगतान ले लेने के संदर्भ में उत्पन्न सरकारी आश्वासन संख्या-191/2001 के कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके ज्ञाप संख्या 191, दिनांक 19 मई, 2001 के प्रसंग में बिहार पुलिस मुख्यालय से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्रांक 1294, दिनांक 25 जुलाई, 2022 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार स्थिति निम्नवत् है:-

सचिवालय थाना कांड सं० 403/2001, दिनांक 8 जुलाई, 2021 धारा 420/409/467/468 471/201/120 (बी) भा०द०वि० में नामजद प्राथमिकी अभियुक्त 1. श्री लाला अजय कुमार सिन्हा, लेखापाल एवं 2. श्री रविन्द्र कुमार, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, लेखा-सह-रोकड़पाल अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध दर्ज किया गया है । कांड के अनुसंधानोपरांत आरोप पत्र सं०-109/2007, दिनांक 30 सितम्बर, 2007 को दो अभियुक्तों के विरुद्ध समर्पित किया गया है ।

अनु:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर-सचिव ।

पत्रांक/वि0म0/41–4–72–2001–1294

बिहार पुलिस मुख्यालय

(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

प्रेषक

अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण),
बिहार, पटना ।

सेवा में

श्री गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर-सचिव,
गृह विभाग (आरक्षी शाखा),
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 25 जुलाई, 2022 (ई०) ।

प्रसंग-- आपके कार्यालय का ज्ञापांक 08/6705, दिनांक 7 जुलाई, 2022 ।
विषय--सरकारी आश्वासन संख्या-191/2001 का उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि उक्त आश्वासन का उत्तर सामग्री अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक -1598/एसे०, दिनांक 23 जून, 2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्राप्त हुआ है । प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सचिवालय थाना कांड सं० 403/2001, दिनांक 8 जुलाई, 2001, धारा-420/409/467/468/471/201/120 (बी०) भा०द०वि० में नामजद प्राथमिकी अभि० 1. श्री लाला अजय कुमार सिन्हा, लेखापाल एवं 2. श्री रविन्द्र कुमार तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, लेखा-सह-रोकड़पाल, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध दर्ज किया गया है । कांड में अनुसंधानोपरांत आरोप पत्र सं० -109/2007, दिनांक 30 सितम्बर, 2007 को दो अभियुक्तों के विरुद्ध समर्पित किया गया है ।

अनु०-यथोपरि ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पट,
अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण),
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक/एसे०क्यू०/01–06–2019–1598 एसे०
बिहार पुलिस मुख्यालय
(अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग)

सेवा में

पुलिस महानिरीक्षक (बजट/अपील/कल्याण),
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 23 जून, 2022 (ई०) ।

प्रसंग-- भवदीय का कार्यालय का पत्रांक 1135/438876/वि०मं०, दिनांक 30 अगस्त, 2019 ।
विषय-- सरकारी आश्वासन संख्या-191/2001 का उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में प्रतिवेदन ।

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि सरकारी आश्वासन संख्या 191/2001 का उत्तर सामग्री जो सचिवालय थाना कांड सं०-403/2001, दिनांक 8 जुलाई, 2001 धारा-420/409/467/468/471/201/120(बी०) भा०द०वि० से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:--

सरकारी आश्वासन

उक्त कांड के नामजद अभि० श्री लाला अजय कुमार सिन्हा, लेखापाल अपराध अनुसंधान विभाग बिहार, पटना एवं श्री रविन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-रोकड़पाल माननीय न्यायालय से जमानत पर मुक्त हैं । यह कांड महालेखाकार राँची से मूल यात्रा विपत्र प्राप्त करने मूल यात्रा विपत्र प्राप्त होने पर विपत्र समर्पित करने वाले का बयान लेने एवं लिखावट को पूर्ण होने पर विपत्र समर्पित करने वाले का बयान लेने एवं विवादास्पद लिखावट कर लेखाशाखा में उपलब्ध लिखावट से मिलान हेतु लंबित चला आ रहा है ।

उक्त आश्वासन को कार्यान्वित करते हुये सुस्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गई है ।

उत्तर

इस संबंध में सचिवालय थाना कांड सं०-403/2001 दिनांक 8 जुलाई, 2001 धारा- 420/409/467 468/471/201/120 (बी०) भा०द०वि० में नामजद प्राथमिकी अभि० 1. श्री लाला अजय कुमार सिन्हा लेखापाल एवं 2. श्री रविन्द्र कुमार तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी लेखा-सह-रोकड़पाल, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध दर्ज किया गया है । कांड में अनुसंधानोपरांत आरोप पत्र सं० 109/2007 दिनांक 30 सितम्बर, 2007 में दो अभियुक्तों के विरुद्ध समर्पित किया गया है ।

नोट:--वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के कार्यालय का पत्रांक 3179/सा०शा०, दिनांक 23 मार्च, 2022 एवं
ना के कार्यालय को ज्ञापांक 1091/22, दिनांक 13 जून, 2022
की छायाप्रति संलग्न है ।

विश्वासभाजन,

(ह०) स्पष्ट,
अपर पुलिस अधीक्षक,
अपराध अनुसंधान विभाग,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 6179/सा0शा0

आदेश

---

10 जून, 2022

बिहार पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग), पटना के पत्रांक 162/सू०प्र०, दिनांक 8 जून, 2022 के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें आश्वासन सं० 191/2001 में सचिवालय थाना कांड सं० कांड सं०-403/2001 दिनांक 8 जुलाई, 2001धारा420/409 467/468/471/201/120 (बी) भा०द०वि० से संबंधित होने, पु०नि०-सह-थानाध्यक्ष, सचिवालय थाना पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उत्तर सामग्री के कॉलम में वर्णित है कि कांड के संबंध में विशेष जानकारी थाना में उपलब्ध नहीं होने और न ही कांड से संबंधित अभिलेख होने तथा वर्तमान में यह कार्ड अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के द्वारा नियंत्रित होने एवं अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना द्वारा संधारित अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उक्त कांड इस इकाई में नियंत्रित नहीं होने, दिनांक 13 जून, 2022 को समय 10:30 बजे लोक सूचना पदाधिकारी-सह-पुलिस अधीक्षक (ई०) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय पटेल भवन ए/ब्लॉक, कमरा नं० 324/325 में थानाध्यक्ष सचिवालय, पटना को स्वयं उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये जाने के संबंध में उल्लेख किया गया है ।

उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य में प्रसंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुये थानाध्यक्ष सचिवालय, पटना को आदेश दिया जाता है कि सचिवालय थाना कांड सं० 403/2001 के संबंध में अद्यतन स्थिति के साथ दिनांक 13 जून, 2022 को समय 10:30 बजे कार्यालय पटेल भवन ए/ब्लॉक, कमरा नं०-324/325 में स्वयं ससमय निश्चित रूप से उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन,

(ह०) अस्पष्ट,
वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय,

ज्ञापांक 1091 / 22

पु0नि0-सह-थानाध्यक्ष का कार्यालय, सचिवालय

सेवा में

लोक सूचना पदाधिकारी-सह-
पुलिस अधीक्षक (ई०) ।
अपराध अनुसंधान विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 13 जून, 2022 (ई०) ।

प्रसंग-- वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का कार्यालय पत्रांक 3179/सा०शा०, दिनां 23 मार्च, 2022 तदनुसार श्रीमान् का पत्रांक 162/सू०प्र० क्यू०, दि० 01 जून, 2019 बिहार पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग, पटना, दिनांक 8 जून, 2022 ।

विषय-- सरकारी आश्वासन सं० 191/2001 का उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि विषयांकित मामलों में उपलब्ध कराये गये उत्तर सामग्री के संबंध में पुनः अवलोकन किया एवं अवलोकनोपरांत यह ज्ञात हुआ कि सचिवालय थाना कांड संख्या 403/2001 दिनांक 8 जुलाई, 2001 धारा 420/409/467/468/471/201/120(बी) भा०द०वि० में नामजद में प्राथमिकी अभियुक्त 1. श्री लाला अजय कुमार सिन्हा , लेखापाल 2. रविन्द्र कुमार तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी लखा-सह-रोकड़पाल अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध दर्ज किया गया है । कांड में अनुसंधान के पश्चात् सचिवालय थाना आरोप-पत्र संख्या 109/2007 दिनांक 30 सितम्बर, 2007 में दो अभियुक्तों के विरुद्ध समर्पित किया गया है । इसके बाद कांड के संबंध में विशेष जानकारी थाना में उपलब्ध नहीं है । अपराध अनुसंधान इकाई, पटना में छानबीन की गयी वहां भी यह कांड लंबित नहीं है ।

इस कांड के संबंध में और अधिक जानकारी थाना में उपलब्ध नहीं है ।

अतः श्रीमान को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन,

(ह०) अस्पष्ट,
पु०नि०-सह-थानाध्यक्ष,
सचिवालय थाना पटना,

परिशिष्ट-III

पत्र संख्या 09/वि0स0-10-12/2022 गृ0आ0-11738

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

श्री गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर-सचिव ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा,
पटना ।

पटना, दिनांक 22 नवम्बर, 2022 (ई०) ।

विषय-- श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, माननीय स०वि०स० के गैर-सरकारी संकल्प पर दिनांक 31 मार्च, 2010 को सरकारी वक्तव्य से निहित आश्वासन सं० 560/10 का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, माननीय स०वि०स० के गैर-सरकारी संकल्प पर दिनांक 31 मार्च, 2010 को सरकारी वक्तव्य से निहित आश्वासन सं० 560/10 के आलोक में कहना है कि सैप जवानों के मासिक मानदेय में विभागीय संकल्प संख्या 3437, दिनांक 27 अप्रील, 2010 द्वारा सैप जवान के मानदेय में वृद्धि करते हुये उसे रु० 12000 (बारह हजार) प्रतिमाह किया गया तथा सैप जवानों के साथ-साथ सैप के रसोईया को रु० 8400 (आठ हजार चार सौ) रुपये एवं जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर को रु० 15000 (पन्द्रह हजार) रुपये प्रतिमाह भुगतान के आधार पर नियोजित किये जाने की स्वीकृति दी गई है ।

अतएव श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, माननीय स०वि०स० के गैर-सरकारी संकल्प पर दिनांक 31 मार्च, 2010 को सरकारी वक्तव्य में निहित आश्वासन सं०-560/10 के संदर्भ में उत्तर प्रतिवेदन स्वीकार करते हुये उक्त आश्वासन को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

अनु०:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर-सचिव।

ज्ञाप संख्या 4/ब2–1028/2007–3437 गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

संकल्प

27 अप्रील, 2010

विषय—भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सिपाहियों को बिहार पुलिस में गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस में 11500 सैफ, 100 जूनियर कमिशंड ऑफिसर एवं 400 रसोईया को वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये अनुबंध पर रखने की स्वीकृति के संबंध में ।

बिहार राज्य में उग्रवादी गतिविधियों/हिंसात्मक गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण रखने एवं विधि व्यवस्था के संधारण हेतु गृह (आरक्षी) विभाग के संकल्प संख्या 3379, दिनांक 27 मार्च, 2006 द्वारा भारतीय सेना से सेवानिवृत्त 5000 सिपाहियों को अनुबंध पर प्राप्त कर एक वर्ष के लिये रखने की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसका गठन स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (Special Auxuliary Police) के रूप में किया गया था तथा पुलिस अधिनियम 1861 की धारा–2 के तहत बिहार पुलिस का अंग घोषित किया गया था । पुन: ऑक्जिलरी पुलिस का अवधि विस्तार अप्रैल, मई एवं जून, 2007 तक किया गया था । तत्पश्चात् गृह (आरक्षी) विभाग के संकल्प संख्या 7003, दिनांक 11 जुलाई, 2007 द्वारा भारतीय सेना से सेवानिवृत्त 11500 सिपाहियों, 100 जूनियर कमिशंड ऑफिसर एवं 400 रसोइया को वित्तीय वर्ष 2007–08 में 09 माह के लिये अनुबंध पर प्राप्त कर स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस पुलिस का गठन किया गया था । इसके यदि गृह (आरक्षी) विभाग के संकल्प संख्या 4170, दिनांक 14 मई, 2008 द्वारा भारतीय सेना से सेवानिवृत 11500 सिपाहियों, 100 जुनियर कमिशंड ऑफिसर एवं 400 रसोइयों को वर्ग 2008–09 हेतु पुराने अनुबंधों की शर्तों एवं देय भुगतान के आधार पर नवीन अनुबंध कर नियोजित किया गया । साथ–ही–साथ जूनियर कमिशंड ऑफिसर के लिये आयु सीमा बढ़ाकर 50 वर्ष किया गया । गृह (आरक्षी) विभाग के संकल्प संख्या 2855, दिनांक 18 मई, 2009 द्वारा भारतीय सेना से सेवानिवृत्त 11500 सिपाहियों, 100 जूनियर कमिशंड ऑफिसर एवं 400 रसोइयों को वर्ष 2009–10 हेतु पुराने अनुबंधों की शर्तों एवं देय भुगतान के आधार पर नवीन अनुबंध कर नियोजित किया गया ।

सैप के गठन से विगत वर्षों में बिहार पुलिस की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि एवं पुलिस बल के मनोबल में सुधार हुआ है । सैप के गठन से उग्रवादियों एवं संगठित अपराधियों के विरुद्ध छापेमारियों में तेज हुई है । सैप के गठन के पश्चात् विगत वर्ष में अपराध नियंत्रण, उग्रवाद निरोध, एवं विधि–व्यवस्था संधारण में अपेक्षित सहायता मिली है ।

3. पुलिस मुख्यालय द्वारा सैप के प्रभावकारी कार्य एवं पुलिस बल की वर्तमान आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त 11500 सिपाहियों, 100 जूनियर कमिशंड ऑफिसर एवं 400 रसोइयों को वर्ष 2010–11 हेतु पुराने अनुबंधों की शर्तों एवं 20% वर्द्धित दर यथा सैप जवान को 12,000/(बारह हजार) रूपया, रसोइया को 8,400–/ (आठ हजार चार सौ) रुपया एवं जूनियर कमिशंड ऑफिसर को 15,000 (पन्द्रह हजार) रूपया प्रतिमाह भुगतान के आधार पर नवीन अनुबंध कर नियोजित किया जायेगा ।

4. अनुबंध पर रखे जाने वाले स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (Special Auxuliary Police) पर वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये कुल 2,27,49,44,000 (दो सौ सताईस करोड़ उन्चास लाख चौवालीस हजार रुपये) का व्यय संभावित है । (व्यय वितरणी संलग्न) जिसका वहन चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में मांग

संख्या-22 के मुख्य शीर्ष ''2055-पुलिस-109-जिला पुलिस 0005 स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस'' एवं विपत्र कोड एन० 2055001090005 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

5. इस हेतु प्रावधानित राशि पर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना का सीधा नियंत्रण होगा एवं पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना का सीधा नियंत्रण होगा । राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस उप-महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार, पटना होंगे तथा जिला स्तर पर संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक होंगे । राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी एवं जिला स्तर पर संबंधित जिला के कोषागार से की जायेगी ।

सैप बल के जवानों एवं जे०सी०ओ के चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 47 वर्ष एवं 52 वर्ष निर्धारित किया जाता है ।

आदेश--आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति सभी विभागीय प्रधान सचिवों/सचिवों/विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाये ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण डेढ़गवें,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

परिशिष्ट-IV

पत्रांक-कारा/स्था0(वि0स0)-01-02 / 2022-11655

बिहार सरकार

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

प्रेषक

रजनीश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)
बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय ।
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 21 नवम्बर, 2022 (ई०) ।

विषय-- श्री अवनीश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-759 (कारा-2) दिनांक 5 मार्च, 2012 को सदन पटल पर रखे गये सरकारी आश्वासन संख्या 288/12 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री अवनीश कुमार सिंह, मा०स०वि० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-759 (कारा-2) दिनांक 5 मार्च, 2012 को सदन पटल पर रखे गये सरकारी आश्वासन संख्या 288/12 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन 10 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है ।

अनु०:-यथोक्त (10 प्रति)।

विश्वासभाजन,
रजनीश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०),
बिहार पटना ।,

तारांकित प्रश्न संख्या 759 (कारा-2), दिनांक 5 मार्च, 2012 से उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं०-288/12 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन:-

विषय--राज्य के काराओं में प्रोन्नत कांटा से काराधीक्षक के रिक्त पदों को भरने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--प्रोन्नति हेतु विचाराधीन अधिकांश कारापालों का उनके मूल पद सहायक कारापाल के पद पर सेवा संपुष्टि नहीं रहने तथा बिना सेवा सम्पुष्टि के प्रोन्नति अनुमान्य नहीं होने के कारण विभाग द्वारा सम्पुष्टि की कार्रवाई प्रारंभ करते हुये विचाराधीन कारापालों के सेवापुस्त, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता आदि अभिलेखों की जांच की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के आलोक में सेवा सम्पुष्टि की कार्रवाई के उपरांत प्रोन्नति की कार्रवाई की जायेगी ।

कार्यान्वयन प्रतिवेदन

अभिलेखों के जांच के पश्चात् अर्हता रखने वाले कारापालों (उपाधीक्षकों) को रिक्त पदों के विरुद्ध प्रान्निति दी गयी है । इसके तहत:-

(i) विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2253, दिनांक 30 अप्रील, 2013 द्वारा श्री अरविन्द कुमार मिश्रा, श्री सीप्रियन टोप्पो एवं श्री सैमुअल दिलीप मित्रा को ।

(ii) विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 5431, दिनांक 9 सितम्बर, 2015 द्वारा श्री सुरेन्द्र गुप्ता, श्री नन्द किशोर रजक, श्री राम चन्द्र महतो, श्री मनोज कुमार सिन्हा, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री सुरेश चौधरी, श्री रामाधार सिंह, श्री कृपा शंकर पाण्डेय एवं श्री रमेश प्रसाद को ।

(iii) विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 475, दिनांक 3 फरवरी, 2017 द्वारा श्री भोला प्रसाद सिंह, श्री सुभाष प्रसाद सिंह, श्री विपिन कुमार, श्री महेश रजक, श्री मनोज कुमार एवं श्री राजेश कुमार राय को ।

(iv) विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 4729, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा श्री राम सुमेर शर्मा एवं श्री संजय कुमार तथा ।

(v) विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 6005, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा श्री अमरजीत सिंह को उपाधीक्षक से अधीक्षक पद पर प्रोन्नति दी गई है ।

(ह०) अस्पस्ट,

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०),

गृह विभाग (कारा),

बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-V

पत्र संख्या-सी/क्यू-4436/2013--7476

बिहार सरकार

गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेषक

विमलेश कुमार झा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 14 अगस्त, 2018 (ई०) ।

विषय-- श्री रामचन्द्र सहनी, माननीय स०वि०स० द्वारा सदन में दिनांक 18 मार्च, 2013 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० ए-132 के सिलसिले में प्राप्त आश्वासन सं० 726/2013 के कार्यान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग--बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 726, दिनांक 25 अप्रील, 2013 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त आश्वासन सं० 726/2013 के संबंध में प्रतिवेदित करना है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सुगौली अंचल के बगही कब्रिस्तान की घेराबंदी पूर्ण है ।

अतः उक्त आश्वासन को लंबित सूची में विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
विमलेश कुमार झा,
सरकार के अपर सचिव,

परिशिष्ट-VI

पत्र संख्या-सी/ए0क्यू-4437/2014-7458

बिहार सरकार

गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेषक

अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त-सचिव,

सेवा में

अवर सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय ।
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 15 जुलाई, 2022 (ई०) ।

विषय-- डॉ० अब्दुल गफूर, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 30 जून, 2014 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ए-04 के सिलसिले में प्राप्त आश्वासन सं०-93/14 के कार्यान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग--बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 93, दिनांक 15 जुलाई, 2014 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त आश्वासन सं० 93/14 के संबंध में प्रतिवेदित करना है कि सहरसा जिलान्तर्गत महिषी प्रखंड के सिरबार-बिरबार पंचायत के मौजा नाकुच गमर की कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य पूर्ण है ।

अतः विषयांकित आश्वासन को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

परिशिष्ट-VII

पत्र संख्या-सी/ए0क्यू-4440/2015–7205

बिहार सरकार

गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेषक

विमलेश कुमार झा,.
सरकार के उप-सचिव ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
राजकीय आश्वासन समिति,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 1 अगस्त, 2016 (ई०) ।

विषय-- श्री महेन्द्र बैठा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2015 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ए०-31 का आश्वासन सं० 52/2015 के कार्यान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग--बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 52, दिनांक 11 अप्रील, 2015 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि वैशाली जिलान्तर्गत पातेपुर प्रखंड के खेसराही दक्षिणी कब्रिस्तान का घेराबंदी कार्य पूर्ण हो गया है ।

अत: अनुरोध है कि विषयांकित आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये इसे लंबित सूची से हटाने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
विमलेश कुमार झा,
सरकार के उप-सचिव ।

परिशिष्ट-VIII

पत्र संख्या-सी/ए0क्यू-4442/2015-6386

बिहार सरकार

गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेषक

अनिमेश पाण्डेय
सरकार के संयुक्त सचिव,

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 23 जून, 2022 (ई०) ।

विषय-- श्री दिनेश कुमार सिंह, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2015 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ए-50 के सिलसिले में प्राप्त आश्वासन सं० 54/15 के कार्यान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग--बिहार विधान सभा सचिवालय का ज्ञापांक 54, दिनांक 11 अप्रील, 2015 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त आश्वासन सं० 54/15 के संबंध में प्रतिवेदित करना है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीश प्रखंड के दलिपुर एवं चकवां में अवस्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है । इस प्रखंड के छाँवा में चार कब्रिस्तान हैं जिसमें से तीन की घेराबंदी पूर्ण है । शेष चौथा कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिये जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका, 2014 की कण्डिका करा सकते हैं ।

माननीय विधायक, उन्हें प्राप्त निधि से भी प्राथमिकता सूची में शामिल कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा सकते है ।

अत: विषयांकित आश्वासन को लंबित सूची में विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
अनिमेश पाण्डेय
सरकार के संयुक्त सचिव ।

परिशिष्ट-IX

पत्र संख्या-सी/ए0क्यू-4438/2015–2255

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

प्रेषक

विकास वैभव,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय ।
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 25 मार्च, 2021 (ई०) ।

विषय--श्री मनोहर प्रसाद सिंह, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2015 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ए-30 के सिलसिले में प्राप्त आश्वासन सं० 67/15 के कार्यान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग--बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 67, दिनांक 11 अप्रील, 2015 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त आश्वासन सं० 67/15 के संबंध में प्रतिवेदित करना है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत पहाड़पुर पूरब टोला कब्रिस्तान के बाढ़ में लगभग 380 फीट क्षतिग्रस्त भाग की घेराबंदी पूर्ण हो चुकी है ।

अतः विषयांकित आश्वासन को लंबित सूची में विलोपित करन की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
विकास वैभव,
सरकार के विशेष सचिव ।

परिशिष्ट-X

संख्या-सी/ए0क्यू-4441/2015–4485

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

प्रेषक

विमलेश कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 24 मई, 2017 (ई०) ।

विषय--श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2015 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० ए-67 के संबंध में प्राप्त आश्वासन सं०-117/2015 के कार्यान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग--बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 117/वि०स०, दिनांक 28 अप्रील, 2015 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त आश्वासन सं० 117/2015 के संबंध में प्रतिवेदित करना है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत ग्राम+पो०-मालीनगर-थाना-चकमेहसी अन्तर्गत स्थित कब्रिस्तान की 110 फीट ध्वस्त चहारदीवारी की घेराबंदी पूर्ण हो चुकी है ।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये इसे आश्वासनों की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
विमलेश कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

परिशिष्ट-XI

संख्या-6/वि0स0-01-143/2016-1042-गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप-निदेशक,

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

पटना, दिनांक 8 जनवरी, 2022 (ई०) ।

विषय--श्री रामसेवक सिंह, स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०-1723 (ए-94) से उद्भूत आश्वासन सं०-324/15 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि श्री रामसेवक सिंह, स०वि०स० द्वारा पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं० 1723 (ए-94) से उद्भूत आश्वासन सं०-324/15 के आलोक में अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना से कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । उक्त कार्यान्वयन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) कि गोपालगंज जिला के पुलिस लाइन में बैरक का विद्युतीकरण सहित मरम्मती कार्य एवं 12 एल०एस०/यू०एस० आवास की मरम्मती का कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा पूर्ण कराया गया है ।

अत: अनुरोध है कि श्री रामसेवक सिंह, स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०-1723 (ए-94) से उद्भूत आश्वासन सं०-324/15 को विलोपित कराने की कृपा की जाय ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
ब्रजेश कुमार सिन्हा,
उप-निदेशक ।

परिशिष्ट-XII

संख्या-09/वि0स0-10-02/2016-11902

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक

श्री गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर-सचिव ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा,
पटना ।

पटना, दिनांक 25 नवम्बर, 2022 (ई०) ।

विषय--श्री षोडश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में श्री नारायण प्रसाद, माननीय स०वि०स० के अनागत तारांकित प्रश्न सं०-गृह-173 पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं०-1046/16 का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में ।

प्रसंग-- आपका पत्रांक-रा०आ०स०-93/16-3854-3857/वि०स०, दिनांक 24 जनवरी, 2017 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि षोडश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में श्री नारायण प्रसाद, माननीय स०वि०स० के अनागत तारांकित प्रश्न सं० गृह-173 पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं०-1046/16 के आलोक में कहना है कि उक्त आश्वासन के संबंध में जिला पदाधिकारी, वैशाली से उत्तर प्रतिवेदन की मांग की गई थी जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा अपने पत्रांक 1427, दिनांक 19 नवम्बर, 2022 के माध्यम से उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत् है:-

दिनांक 9 अगस्त, 2016 को सम्पन्न चौकीदारों/दफादारों की अनुकम्पा-सह-चयन समिति के बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 2250/जि०सा०, दिनांक 16 सितम्बर, 2016 के द्वारा श्री अर्जुन भगत चौकीदार, अंचल कार्यालय, महुआ का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा जिला पदाधिकारी, वैशाली के आदेश ज्ञापांक-2300/जि०सा०, दिनांक 23 सितम्बर, 2016 के द्वारा आश्रित पुत्र की चौकीदारी के पद पर नियुक्ति की गयी है ।

अतएव श्री नारायण प्रसाद, माननीय स०वि०स० के अनागत तारांकित प्रश्न सं०-गृह-173 पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं०-1046/16 के संदर्भ में उत्तर प्रतिवेदन स्वीकार करते हुये उक्त आश्वासन को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर-सचिव ।

संख्या-02-04 / 2022-1427/जिला सामान्य, हाजीपुर
वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर
जिला सामान्य शाखा

प्रेषक

जिला पदाधिकारी,
वैशाली ।

सेवा में

सरकार के अवर-सचिव,
गृह विभाग (आरक्षी शाखा), पटना ।
पटना ।

पटना, दिनांक 19 नवम्बर, 2022 (ई०) ।

विषय--षोडश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में श्री नारायण प्रसाद, माननीय स०वि०स० के अनागत तारांकित प्रश्न सं० गृह-173 पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं०-1046/2016 के संबंध में उत्तर सामग्री का प्रेषण ।

प्रसंग-- विभागीय पत्रांक 7028, दिनांक 14 सितम्बर, 2021 एवं पत्र संख्या 10868, दिनांक 1 नवम्बर, 2022 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के परिपेक्ष्य में षोडश बिहार विधान सभा का तारांकित प्रश्न उत्तर सामग्री निम्न प्रकार है:-

अनागत तारांकित प्रश्न संख्या गृह-173 दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 को सदन पटल पर रखे गये द्वितीय सत्र के तारांकित प्रश्न ।	उत्तर साम्रगी
मात्र एक आवेदक श्री अर्जुन भगत के (आवेदन प्राप्ति की तिथि 10 मार्च 2016) आवेदन के आलोक में उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृति देने हेतु स्पष्ट अनुशंसा अंचल अधिकारी, महुआ (नियंत्री पदाधिकारी) से जिला पदाधिकारी, वैशाली के द्वारा मांग की गयी है । अंचल अधिकारी, महुआ से अनुशंसा प्राप्त होते ही कार्रवाई की जायेगी ।	दिनांक 9 अगस्त, 2016 को सम्पन्न चौकीदारों/दफादारों की अनुकम्पा-सह-चयन समिति के बैठक कार्यवाही ज्ञापांक 2250/जि०सा०, दिनांक 16 सितम्बर, 2016 के द्वारा श्री अर्जुन भगत, चौकीदार अंचल कार्यालय, महुआ का स्वैच्छिक सेवानिवृति की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा जिला पदाधिकारी, वैशाली के आदेश ज्ञापांक 2300/जि०सा०, दिनांक 23 सितम्बर, 2016 के द्वारा आश्रित पुत्र चौकीदार के पद पर नियुक्ति की गयी है ।

सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
जिला पदाधिकारी,
वैशाली ।

बि० स० मु०-51 (एल० ए०)--2023-24 डी० टी० पी० -300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2024